रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276370
CG-DL-E-21092026-276370

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4983] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948
No. 4983] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2026

का.आ. 5189(अ).—केन्द्रीय सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना की अनुसूची में शामिल कतिपय प्रवर्गो की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अनिवार्य करने हेतु, संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की है;

और पूर्व अनुभवों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर विशेष रूप से उन परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता अवधि को युक्तिसंगत बनाया है, जिनको पूरा करने की विकास अवधि, प्रायः परियोजना प्रस्तावक के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारणों से अधिक होती है;

और मंत्रालय को पत्तनों और पोताश्रयों को अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता अवधि को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में प्रारंभिक दस वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य है, जिसे एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है;

और विषय को क्षेत्रीय विशेषज्ञ आंकलन समिति को परीक्षण के लिए निर्दिष्ट किया गया था। क्षेत्रीय विशेषज्ञ आंकलन समिति ने सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् सिफारिश की कि पत्तनों और पोताश्रयों को अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति की

विधिमान्यता अवधि को प्रारंभिक रूप से पंद्रह वर्षों के लिए पुनरीक्षित रूप से विधिमान्य बनाया जा सकता है, जिसे पाँच वर्षों के लिए विस्तारित किया जा सकता है;

और क्षेत्रीय विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को परीक्षण के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था। समिति का यह मत था कि पत्तनों और पोताश्रयों परियोजनाओं की लंबी विकास अवधि और चरणबद्ध विकास को देखते हुए, पत्तनों और पोताश्रयों को अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता अवधि को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है, चूंकि विद्यमान दस+एक वर्ष की विधिमान्यता अपर्याप्त प्रतीत होती है;

और विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने यह भी सिफारिश की कि पत्तनों और पोताश्रयों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता अवधि को प्रारंभिक रूप से पंद्रह वर्षों के रूप में पुनरीक्षित किया जा सकता है, जिसे क्षेत्रीय विशेषज्ञ आंकलन समिति / राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के सम्यक् परीक्षण और सिफारिशों के पश्चात् अधिकतम पाँच वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है;

और मंत्रालय में क्षेत्रीय विशेषज्ञ आंकलन समिति और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया गया। समितियों की सिफारिशों के आधार पर, उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 2593(अ) तारीख 20 मई 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त प्रारूप अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर इससे प्रभावित होने वाले सभी सामान्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में साठ दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

और मंत्रालय को पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता के अधीन 16.06.2026 को आयोजित पणधारी परामर्श बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त हुआ, जिसमें मंत्रालय से खनन परियोजनाओं के अनुरूप पत्तन परियोजनाओं के लिए परियोजना अवधि या तीस वर्ष (जो भी अधिक हो) के साथ पर्यावरणीय और तटीय विनियमन क्षेत्र अनापत्ति की विधिमान्यता अवधि पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था;

और पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुरोध के साथ प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त टिप्पणियों को विशेषज्ञ सलाहकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था। बैठक के दौरान, क्षेत्रीय विशेषज्ञ आंकलन समिति के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात्, समिति ने सिफारिश की कि पत्तनों और पोताश्रयों की विधिमान्यता अवधि को विस्तारित करके बीस वर्ष कर दिया जाए, परंतु कि, विधिमान्यता अवधि को बीस वर्ष से आगे पांच वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और योग्य मामलों में जहां परियोजना इस विस्तारित अवधि के भीतर परिचालनीय नहीं हो पाई है, वहां इस शर्त के साथ कि, इन दोनों विस्तारों के दौरान, पर्यावरण प्रबंधन योजना में आवश्यकतानुसार उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाए, पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि अनुदत्त की जा सकती है;

और मंत्रालय में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया गया। समितियों की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय पत्तनों और पोताश्रयों को अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता अवधि को युक्तिसंगत बनाना उचित समझता है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का) 29 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना के, पैरा 9 में,-

(क) उप-पैरा (ii) के खंड (ग) में, "खनन परियोजनाएं" शब्दों के पश्चात् "और पत्तनों/पोताश्रयों/ब्रेक वाटर/ड्रेजिंग" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ivक) पत्तनों, पोताश्रयों, ब्रेक वाटर और ड्रेजिंग के लिए दी गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति बीस वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। परंतु कि विधिमान्य अवधि को बीस वर्षों से आगे और पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि विद्यमान पर्यावरणीय अनापत्ति में अधिकथित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता का परीक्षण संबद्ध विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा किया जाएगा ताकि पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में ऐसे अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा सके, जो आवश्यक समझे जाए। और योग्य मामलों में, जहां परियोजना इस विस्तारित अवधि के भीतर परिचालन में नहीं आ सकी है, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति परियोजना का परीक्षण कर सकती है और यदि उचित समझा जाए तो पर्यावरणीय अनापत्ति को पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित करने की सिफारिश कर सकती है, इस शर्त के अधीन कि विद्यमान पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता का परीक्षण संबद्ध समिति द्वारा किया जाएगा और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा सकता है, जैसा आवश्यक समझा जाए।"

(ग) उप-पैरा (v) में, "और (iv)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर ", (iv) और (ivक)" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएँगे।

[फा. सं. आईए3-22/8/2026-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ.3862(अ), तारीख 13 जुलाई 2026 के द्वारा संशोधित की गई थी।—

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2026

S.O. 5189(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance for certain category of projects covered in the schedule of the notification;

And whereas, based on the past experiences, the Central Government from time to time has rationalised the validity period of Environmental Clearances, especially for projects and activities which have high gestation period due to various issues which are often beyond the control of the project proponent;

And whereas, the Ministry has received a request to rationalise the validity period of the Environmental Clearances granted to Ports and Harbours, which is currently valid for an initial period of ten years which may be extended for a further period of one year;

And whereas, the matter was referred to the Sectoral Expert Appraisal Committee for examination. The Sectoral Expert Appraisal Committee after due deliberation recommended that the validity period of the Environmental Clearances granted to Ports and Harbours may be revised as valid for an initial period of fifteen years, which may be extended for a period of five years;

And whereas, the recommendations of the Sectoral Expert Appraisal Committee was referred to the Expert Advisory Committee for examination. The Committee was of the opinion that, considering the long gestation and phased development characteristic of Port and Harbour projects, the validity period of Environmental Clearances granted to ports and harbours need to be rationalised as the existing ten plus one years validity appears to be insufficient;

And whereas, after detailed deliberation, the Expert Advisory Committee also recommended that the validity period of Environmental Clearances for Ports and Harbours, may be revised as an initial period of fifteen years which may extended for a maximum period of not more than five years after due examination and recommendations of the Sectoral Expert Appraisal Committee /State Level Expert Appraisal Committees;

And whereas, the recommendations of the Sectoral Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee were examined in the Ministry. Based on the recommendations of the Committees, a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2593(E) dated 20th May 2026, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public; The objections and suggestions received in response to the said draft notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government;

And whereas, the Ministry received the minutes of the stakeholder consultation meeting held on 16.06.2026 under the Chairpersonship of Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), wherein the Ministry was requested to re-consider the validity period of environment and Coastal Regulation Zone Clearance concomitant to the project period or thirty years (whichever is more) for Port Projects, in line with Mining Projects;

And whereas, the comments received on the draft notification along with the request of Ministry of Ports Shipping and Waterways was referred to the Expert Advisory Committee. During the meeting, the Chairman and representatives of the Sectoral Expert Appraisal Committee were also invited. After due deliberation, the Committee recommended that the validity of ports and harbors may be increased to a period of twenty years. Provided that, the period of validity may be extended by five years, beyond twenty years and in deserving cases where the project has been unable to be operationalised within this extended period, a further period of five years, may be granted subject to the condition that, suitable environment safeguards in the Environmental Management Plan may be included as may be deemed necessary, during both these extensions;

And whereas, the recommendations of the Expert Advisory Committee were examined in the Ministry. Based on the recommendations of the Committees, the Ministry deems it appropriate to rationalise the validity period of the Environmental Clearances granted to Ports and Harbours.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:-

2. In the said notification, in paragraph 9,-

(a) in sub-paragraph (ii), in clause (c), after the words "Mining projects" the words "and Ports, harbors, break waters, dredging" shall be inserted;

(b) after sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(iva) The prior Environmental Clearance granted for Ports, harbors, break waters and dredging shall be valid for a period of twenty years: Provided that, the period of validity may be extended by another five years, beyond twenty years, subject to the condition that the adequacy of the existing environmental safeguards laid down in the existing Environmental Clearance shall be examined by the concerned Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee for incorporating such additional environment safeguards in the Environmental Management Plan, as may be deemed necessary. Further, in deserving cases, where the project has been unable to be operationalised within this extended period, the Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee may examine the project and recommend the extension of Environmental Clearances for a further period of five years, if deemed appropriate, subject to the condition that the adequacy of the existing environmental safeguards shall be examined by the concerned Committee and

suitable environment safeguards in the Environmental Management Plan, may be included as may be deemed necessary." ;

(c) in sub-paragraph (v), for the words, brackets and figures "*and (iv)*", the brackets, figures word and letters ", *(iv) and (iv a)"* shall be substituted.

[F. No. IA3-22/8/2026-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide*, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended *vide* the notification number S.O.3862(E), dated 13th July 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA